[Shri Vishwanath Pratap Singh]

Development Authority Act, 1972, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Marine Products Export Development Authority for the next term beginning on the 16th August, 1975, subject to the other provisions of the said Act."

MR. SPEAKER : The question is :

"That is pursuance of Section 4(3) (c) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Marine Products Export Development Authority for the next term beginning on the 16th August, 1975, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

13.31 hrs.

CONSTITUTION (THIRTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

श्री मधु लिमये : (बांका) अध्यक्ष महोदय, पिछले महिने मे जब सिक्किम के बारे मे यह विधेयक ले आये थे, तो हम लोगों ने सिक्किम की यह जो ख्वाहिश है कि भारत के साथ घनिष्ठ रिस्ता हो, तो के बारे मे तो संतोष व्यक्त किया था, लेकिन जिस ढंग से यह विधेयक पारित करने की कोशिश की गई थी, उस का हम लोगों ने विरोध किया था । अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि इस से संविधान की बुनियाद के साथ खिलवाड हो रहा है और उस के ढांचे को आप एकदम बदल रहे हैं और सिक्किम की जनता की जो राय है, उस को पहले जानने की कोई कोशिश नहीं की गई है । उस समय हमने यह भी कहा था कि एसेम्बली का चुनाव तो हुआ लेकिन एसेम्बली के चुनाव के समय भारत के साथ ऐसा रिस्ता होना चाहिए, यह सवाल जनता के सामने बिल्कुल नही था । उस समय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने यह भी कहा था कि अगर आप सिक्किम को भारत के संघ-राज्य में शामिल करना चाहते है, तो बाकायदा कीजिए और मैंने एक एमेण्डमेन्ट भी दिया था कि नये राज्य के एक्सेशन के लिए आप कोई प्रावधान कीजिए, लेकिन एक बात सिर्फ हम लोगों की आप लोगों ने मानी और वह यह है कि सिक्किम की जनता का जो प्रतिनिधि इस सभा मे बैठेगा, पहले तो आप उस को नामजद करना चाहते थे लेकिन आप ने हमारी इस बात को मान लिया कि यहा चुना हुआ प्रतिनिधि बैठेगा । बाकी जो हमारे मुद्दे थे उन के बारे मे आप ने विचार तक नही किया । विरोधी पक्ष द्वारा जो रचनात्मक सुझाव रखे जाते है, उन के बारे मे इस सरकार का यह रुख और रवैया रहता है ? मुझे पता नही है कि विरोधी पक्ष के नेताओं की जो बैठक बुलाई गई थी, उस मे यह जो नये विधेयक का मस्विदा था, वह उन को दिखाया गया था या नही ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : नहीं दिखाया गया था ।

श्री मधु लिमये : जनरल बेंग बात की जाती है और अखबार में दे दिया जाता है कि विरोधी पक्ष का पूरा समर्थन इस में मिला है और रेडियो पर पहले ही यह आ जाता है । जहां तक विरोधी पक्ष के लोगों का सवाल है, उन्हों ने इसका समर्थन किया कि सिक्किम के लोगों की राय ली जाय, रिफेरेन्डम हुआ और उस के आधार

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 21-4-1975.

पर वे चाहते हैं कि एक घटक राज्य वह संघ राज्य का बने। इस के लिए सहमति तो विरोधी पक्ष के नेताओं ने दी लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विरोधी पक्ष के नेताओं ने इस तरह की बातों के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी होगी जैसा कि 371 एफ मे है। मैं आप का विशेष ध्यान 371 एफ जो नई धारा है, उस की (जी) धारा की तरफ दिलाना चाहता हूं। (जी) में यह कहा गया है :

> "371F. (g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this clause; the Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time, deem fit to issue, act in his discretion;"

अध्यक्ष महोदय, इस के बारे में मेरा सख्त एतराज है। यह जो विशेष उत्तरदायित्व, विशेष रेस्पोंसिबिलिटी की बात की गई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सिक्किम को लोकतान्त्रिक अधिकार नहीं देना चाहते। आप सिक्किम को एक उपनिवेश के रूप मे रखना चाहते हैं। आप ने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 को देख लिया और मुझे लगता है कि यह जो धारा आई है, वह सब आप ने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 में जो धारा गवर्नर के विशेषाधिकारों के बारे में थी, उस को यहां ला कर रख दिया है। आज मैं विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे तो स्वतन्त्रता आन्दोलन के सेनानी रहे हैं और वे जानते हैं कि 1937 में जब कांग्रेस मंत्री-मण्डल के बनाने का सवाल आया, तो वह इसी मामले पर अड़ा रहा। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि गवर्नर के विशेषाधिकार को हम छोड़ेंगे नहीं और वर्किंग कमेटी ने कहा, कांग्रेस की ए०आई०सी०सी० ने कहा कि जब तक उस के बारे में एशोरेंस नहीं मिलेगी, हम लोग अधिकार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। अन्त में महात्मा गांधी की ब्रिटिश नेताओं के साथ, वायसराय के साथ बातचीत हुई और एक जेन्टीलमेन एग्रीमेन्ट हुआ कि गवर्नर के विशेषाधिकारों का उपयोग स्वायत्त मंत्री-मण्डल के खिलाफ नहीं किया जाएगा। इस तरह की धारा सेक्शन 52(1) गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 में है। इस में कहा गया है :

> "In the exercise of his functions, the Government shall have the following special responsibility—
>
> (b) safeguarding of the legitimate interest of minorities."

और आगे यह कहा गया है, सेक्शन 54 में :

> "In so far as the Governor of a province is by or under this Act required to act in his discretion or to exercise his individual judgment, he shall be under the general control of and comply with such particular directions, if any, as may from time to time be given to him, by the Governor-General in his discretion, but the validity of anything done by a Governor shall not be called into question on the ground that it was done otherwise than in accordance with this section."

अध्यक्ष महोदय, इस में ये क्या कर रहे हैं। गवर्नर के विशेषाधिकार वैसे ही हैं और अंग्रेजों के जमाने मे गवर्नर के ऊपर नियंत्रण गवर्नर जनरल का था और अब राष्ट्रपति का, मतलब यह कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का नियंत्रण आप रखना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस के माइने हैं पार्लियामेन्ट के।

श्री मधु लिमये : वह सब हम जानते हैं कि हैं पार्लमेन्ट का कैसा है। पार्लियामेन्ट के दूसरे अधिकारो में दखल देता है, प्रशासन में दखल देता है ?

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्किम को आप राज्य का दर्जा देना चाहते हैं तो उन को समान अधिकार भी मिलने चाहिए और जैसे अधिकार अन्य राज्यों के है वैसे ही सिक्किम को भी देने चाहिए। इसलिए इस

[श्री मधु लिमये]

बिल का मैं विरोध करना चाहता हूं । यह लोकतन्त्र के खिलाफ है और राज्यों की स्वायत्तता पर आक्रमण है । यह अंग्रेजों के जमाने का जो उपनिवेशवादी तत्व है, उस का ही यह एक अनुसरण है ।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय यह कहते कि संक्रमण काल के लिए ट्रांजीशन पीरियड के लिए हम को कुछ प्रावधान करना पड़ेगा, तो दूसरी बात होती जैसा कि आप ने इसी क्लाज के सेक्शन (एल) में कहा है और आप ने राष्ट्रपति जी को अधिकार दिए हैं :

> "The President may, within two year from the appointed day, by order make such adaptations and modifications of the law . . ."

यह अधिकार आपने दिया है । आगे (ई) में आप ने यह अधिकार दिया है :

> "If any difficulty arises in giving effect to any of the foregoing provisions of this article, the President may, by order, do anything including any adaptation or modification of any other article which appears to him to be necessary for the purpose of removing that difficulty.
>
> Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day."

अगर संक्रमणकाल के लिए आप संसद के सामने यह सुझाव रखते कि एक साल के लिए या दो साल के लिए हम इस तरह का प्रावधान रखेंगे लेकिन संक्रमण काल समाप्त होने के बाद, ट्रांजिक्शन पीरियड समाप्त होने के बाद, सिक्किम के लोगों को, सिक्किम की एसेम्बली को, सिक्किम की सरकार को वही सारे अधिकार मिलेंगे जो महाराष्ट्र सरकार को हैं, आन्ध्र प्रदेश की सरकार को हैं या अन्य सरकारों को हैं, तो दूसरी बात होती इसलिए इस बुनियादि सिद्धान्त के आधार पर मैं इसका विरोध कर रहा हूं । हमारा हरगिज यह मतलब नहीं है कि सिक्किम की जनता ने जो राय अभिव्यक्त की है उस का हम लोग आदर नहीं करते ।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : When the question was asked whether there is any special status for them, you said, "no special status."

MR. SPEAKER : Only those who have given notice can be allowed.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : What I said, I still maintain.

I thought, when I received the notice, that there would be some constitutional aspects raised for objecting to the introduction of the Bill. Of course, there is nothing to prevent the hon. member from raising points which he considers basic. I would assure him that the status of the new Assembly and the new State will be the same as any other State in the country, and the leaders of the opposition agreed to this proposition. Naturally we did not show them the draft because it was still under preparation.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We were not told that the Governor of Sikkim will have special powers.

श्री मधु लिमये : विरोधी पक्ष का यह सहयोग चाहते हैं लेकिन विरोधी पक्ष के सुझाव को भी नहीं मानते और छः महीने और साल के बाद, वही सुझाव लेकर आते हैं ।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : I would appeal to hon. members to see what is the entire history of Sikkim. The entire history of Sikkim and the problem arising out of the peculiar situation there is being forgotten.

What is being done here is only to meet that particular situation, extraordinary situation; in case it appears, it is necessary to have the Governor's responsibility. This responsibility cannot be forgotten. It is essentially a political matter. So, the comparison between the Act of 1935 and the objection that we took in the use of individual judgement and discretion.. (*Interruptions*) Under the directions of the President,—it means it would be the Government's decision. It would be subject to criticism and examination. There is no proper comparison between the

Government of India Act and the present. Sir, I don't think there is any constitutional objection to this.

MR. SPEAKER : The question is

"That leave be granted to introduce the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Bill."

The motion was adopted.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : Sir, I introduce* the Bill.

13 42 hrs.

RE. INCIDENT AT ALLAHABAD

MR. SPEAKER : Shri Atal Bihari Vajpayee. You will get two minutes.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : 18 मार्च को इस सदन में उस पिस्तोलधारी युवक के बारे में चर्चा हुई थी जो अलाहाबाद हाई कोर्ट में पकड़ा गया था। चर्चा के दौरान गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि वह शीघ्र ही सारी जानकारी इकठ्ठी करेंगे और सदन को उससे अवगत कराएगे। मै श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के भाषण से एक अंश उद्धृत करना चाहता हू।

"Sir, as I have already submitted, the information at my disposal is meagre and I want to assure the House that I would take the earliest opportunity to inform the House about fuller information that I will be able to get."

13·43 hrs

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

आज 21 अप्रैल है और अभी तक गृह मंत्री जी की ओर से कोई बयान नही दिया गया है, सदन को विश्वास मे नही लिया गया है। इस बीच मे कुछ नए तथ्य और अगर मै कहू तो गलत न होगा कि सनसनीखेज तथ्य हमारे सामने आए है। जिन श्री गोविंद मिश्र को इलाहाबाद में हाई कोर्ट की इमारत में गिरफ्तार किया गया था उन्होंने अपने दैनिक अखबार "श्रीविजय" में प्रधानमंत्री जी के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिस का शिर्षक है गोविंद मिश्र काण्ड की कहानी, गोविन्द मिश्र की जबानी। श्री गोविन्द मिश्र का कहना यह है कि वह 18 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए यह सूचना प्राप्त करने के बाद उन्हे कि पास दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के एक अधिकार के साथ इमारत मे गए। उन से कहा गया कि पास तैयार है और आप उपर जाइये, रजिस्ट्रार के दस्तखत होने बाकी है और पास आपको दे दिया जाएगा। बाद मे जब वह उपर पहुचे इजाजत ले कर --

MR. DEPUTY SPEAKER : I think the Home Minister must have read that. If not the Minister, at least the Home Ministry must have scanned all these things. Anyway, you only raise the point.

श्री मधु लिमये (बाका) : होम मिनिस्टर कहा पढ़ते है ? वह कुछ नही पढ़ते।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : होम मिनिस्टर बयान देने के लिए सदन मे क्यो नही आ रहे है ? श्री गोविन्द मिश्र का यह भी कहना है कि यह खबर कि वह वकील के कपड़े पहन कर गया था बिल्कुल गलत है। उन्होने इस खबर को भी गलत बताया है कि मेरी पिस्तौल मे कारतूस भरे हुए थे। उतना ही नही श्री गोविन्द मिश्र कहते है कि मै कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहा हू और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा के कहने पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता था। यह अखबार है "श्री विजय"। इस में आप देखे एक ज्ञापन छपा है जिस में श्री बहुगुणा और श्रीमती इंदीरा गाधी के साथ साथ चित्र है और यह विज्ञापन उत्तरप्रदेश के सूचना विभाग ने दिया हुआ है। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री इस सदन को तथ्यों से अवगत कराए।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइट आफ आर्डर है। यह सवाल श्री जनश्वर मिश्र ने और मैने भी उठाया था। मेरा प्वाइट आफ आर्डर यह है कि गलत जानकारी के आधार पर अगर सदन में कोई प्रस्ताव रखा जाता है और, सदन को मोबीट करके अगर वह पारित किया जाता है तो क्या सदन की कार्रवाई के अनुसार--

*Introduced with the recommendation othe President.